सं0–77/उत्तीस(2)/05–2(03पे0)/2006

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक:30 जनवरी, 2006

विषयः वित्तीय वर्ष 2005–06 में राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत जनपद देहरादून की पिलियानी खेड़ा–दूधली तोक समूह पुर्न0 पेयजल योजना की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1593/प्रेजल–देहरादून/ दिनांक 07.12.2005 के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून के पिलियानी खेड़ा–दूधली तोक समूह पुर्न0 पेयजल योजना के रू0 258.89 लाख के प्राक्कलन पर टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई रू0 228.24 लाख (रू0 दो करोड़ अठठाईस लाख चौबीस हजार मात्र) की लागत के आगणन पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर के अंतर्गत रू0 25.00 लाख (रू0 पचीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके, आवश्यकतानुसार किस्तों में आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी।

3 स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय। अवमुक्त की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं उपरोक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किश्त की धनराशि स्वीकृत की जा सकेगी।

क्रमश..2

4 आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरें को जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

6— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7— एक मुस्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

9— कार्य करने से पूर्व स्थल की भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले।स्थल निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

10— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद की धनराशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

11— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

12—कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

13—उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005—06 में अनुदान सं0—13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक"2215—जलापूर्ति तथा सफाई—01—जलापूर्ति— आयोजनागत —102—ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम—03—ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर—00—20—सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के नामे" डाला जायेगा ।

4— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0— 105/XXVII(2)/2006 दिनांक 25 जनवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

क्रमश..3

पृ०सं०-77 / उन्तीस(2)-2(03पे०) / 2006,तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान।
6. वित्त अनुभाग-2 / वित्त(बजट सैल) / नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
8. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अनु सचिव